भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1835**

**28 दिसंबर, 2018 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: फसलों की खरीद**

**1835. श्री दिग्विजय सिंहः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार प्रत्येक वर्ष 23 फसलों में से प्रत्येक के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी 23 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए कोई प्रयास किया है, यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में खरीदी गई फसलों की फसल-वार मात्रा कितनी है और देश में हुई कुल खरीद में से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसलों का प्रतिशत कितना है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)**

(क) सरकार संबंधित राज्‍य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के मंतव्‍यों और अन्‍य संगत कारकों पर विचार करके कृषि लागत और मूल्‍य आयोग (सीएसीपी) की सिफ़ारिशों के आधार पर प्रत्‍येक मौसम के लिए 22 अधिदेशित खरीफ एवं रबी फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों (एमएसपी) तथा गन्‍ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्‍य (एफआरपी) को निर्धारित करती है। इसके अलावा, तोरिया और छिलका रहित नारियल का एमएसपी भी क्रमश: रेपसीड/सरसों और कोपरा के एमएसपी के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(ख) सरकार की मूल्‍य नीति में न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर किसानों के लिए उनके उत्‍पादों की खरीद करने का प्रस्‍ताव करके लाभकारी मूल्‍य सुनिश्‍चित करना है। तथापि, किसान न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर सरकारी खरीद एजेंसियों को अथवा खुले बाजार में, जो भी लाभप्रद है, अपने उत्‍पादों को बेचने के लिए स्‍वतंत्र हैं।

मौजूदा व्‍यवस्‍थाओं के अनुसार, उन फसलों की खरीद की जाती है जिसके लिए केंद्रीय एवं राज्‍य की एजेंसियों के माध्‍यम से न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों की घोषणा की जाती है। जहां तक अनाजों/पोषक अनाजों का प्रश्‍न है, कल्‍याणकारी योजनाओं एवं खाद्य सुरक्षा के लिए बफर भंडारण हेतु मुख्‍य रूप से सार्वजनिक वितरण पद्धति (पीडीएस) के तहत वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम एवं विकेंद्रिकृत खरीद पद्धति के माध्‍यम से उनकी खरीददारी की जाती है। सरकार द्वारा घोषित न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर केन्‍द्रीय नोडल एजेन्‍सियों के माध्‍यम से तिलहन, दलहन और कपास की खरीद के लिए सरकार मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) का कार्यान्‍वयन करती है। इस योजना का क्रियान्‍वयन उस संबंधित राज्‍य सरकार के अनुरोध पर किया जाता है जो मंडी करों की लेवी एवं अन्‍य राज्‍य शुल्‍कों से खरीद किए गए जिन्‍सों पर छूट देने के लिए सहमत हैं। मूल्‍य समर्थन योजना का मूलभूत उद्देश्‍य उच्‍चतर निवेश और उत्‍पादन को प्रोत्‍साहित करने की दृष्‍टि से उत्‍पादकों को उनके उत्‍पाद के लिए लाभकारी मूल्‍य उपलब्‍ध कराना और कम मध्‍यस्‍थता लागत के साथ उचित मूल्‍य पर आपूर्ति उपलब्‍ध कराते हुए उपभोक्‍ताओं के हितों की सुरक्षा करना है।

हाल ही में शुरू की गई व्‍यापक योजना ‘‘प्रधानमंत्री अन्‍नदाता आय संरक्षण योजना’’ (पीएम-आशा) में कृषि उत्‍पादन और उत्‍पादकता बढ़ाने के लिए उत्‍पादकों/किसानों को एक लाभकारी और स्‍थिर मूल्‍य स्‍थिति का आश्‍वासन देने के लिए एक व्‍यापक व्‍यवस्‍था का प्रावधान है। इस समग्र योजना में दलहन और तिलहन के लिए मूल्‍य समर्थन योजना (पीएसएस), भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और किसानों को एमएसपी सुनिश्‍चित करने के लिए तिलहन के लिए प्रायोगिक आधार पर निजी खरीद और भंडारण योजना (पीपीएसएस) शामिल है।

2014-15 से 2018-19 तक मुख्‍य फसलों की खरीदारी संबंधी ब्‍यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

**अनुबंध**

**दिनांक 28.12.2018 को देय राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1835 के भाग (ख) के उत्‍तर के संबंध में उल्‍लिखित अनुबंध**

**2014-15 से 2018-19 तक अनाजों, दलहनों, तिलहनों एवं अन्‍य फसलों की खरीददारी का ब्‍यौरा**

 **('000 टन)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| जिन्‍स | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
| चावल | 32040.0 | 34218.0 | 38106.0 | 38184.0 | 22560.0\* |
| गेहूं | 28023.0 | 28088.0 | 22930.0 | 30824.0 | 35522.0\*\* |
| मोटे अनाज | 465.0 | 260.0 | 72.3 | 86.2 | 189.0 |
| तूर |  - | 45.5 | 1361.9 | 873.8 | -  |
| मूंग |  - |  - | 219.4 | 407.3 | 155.6\*\*\* |
| उड़द |  - | 4.9 | 88.5 | 292.4 | 169.5\*\*\* |
| चना | 364.2 |  - | 60.5 | 60.3 | 2769.4\*\*\* |
| मसूर |  - |  - | 8.6 | 27.1 | 246.9\*\*\* |
| मूंगफली | 6.2 |   | 210.7 | 1050.1 | 129.9\*\*\* |
| सूरजमुखी बीज | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 6.5 | 2.8\*\*\* |
| सोयाबीन |  - |  - | 0.2 | 72.3 | 15.1\*\*\* |
| तिल |  - |  - |  - | 3.4 |  -  |
| सरसो | 1.7 |  - |  - | 36.9 | 873.6\*\*\* |
| कपास | 1478.3 | 143.6 |  - | 66.1 | -  |
| कोपरा |  - |  - | 6.3 | - | - |
| पटसन | 2.79 | 0 | 40.7 |  60.8 | - |

स्रोत: सहकारिता प्रभाग (डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू), उपभोक्ता मामले विभाग, भारतीय खाद्य निगम और भारतीय कपास निगम

\* 21.12.2018 के अनुसार

\*\* 06.07.2018 के अनुसार

\*\*\* 06.12.2018 के अनुसार

**\*\*\*\*\***